तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कन्टैम्प्ट / अपील डिक्री / टी.ए. / 4508 / 2004 / उदयपुर** **नजबनिशा बनाम कूका व अन्य**	नम्बर व तारीख
22.8.19	**खण्ड–पीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री नत्थूराम, सदस्य** उपस्थित श्री राजेश गौतम अभिभाषक प्रार्थीगण श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 **निर्णय** 1. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि मण्डल के समक्ष प्रार्थीगण ने एक अपील कमरूलहक बनाम कूका पेश की थी जिस पर न्यायालय ने दिनांक 26.11.2001 को प्रार्थीगण के हक में स्थगन आदेश पारित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं एवं भूमि की किस्म परिवर्तन कर रहे हैं जिस बाबत प्रार्थी ने पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज करवाई तथा जिला कलक्टर एवं सम्भागीय आयुक्त को शिकायत पेश की। अप्रार्थीगण का उपरोक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना हैं जिसके लिये उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि न्यायालय के आदेशों की गरिमा बनी रह सके। 3. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के कथन की पुष्टि हो सके। इसलिये अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कन्टैम्प्ट / अपील डिक्री / टी.ए. / 4508 / 2004 / उदयपुर** **नजबनिशा बनाम कूका व अन्य**	नम्बर व तारीख
	4. हमने बहस पर मनन किया एंव पत्रावली को अवलोकन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :– 5. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि मण्डल के समक्ष इसी प्रकरण से संबंधित अपील संख्या 7734 / 2001 नजबनिशा बनाम कूका को आज दिनांक को स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जा चुका है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में न तो यह स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया था व न ही यह स्पष्ट किया है कि उस आदेश की अवहेलना किस प्रकार की जा रही थी। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के कथन की पुष्टि हो सके। इसलिये अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है ऐसी स्थिति में यह अवमानना प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। 6. निर्णय सुनाया गया। **(नत्थूराम)** **सदस्य** **(मुकेश कुमार शर्मा)** **अध्यक्ष**	